मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969

क्रमांक 9/1969

(मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा पारित अधिनियम पर राष्ट्रपति महामहिम की स्वीकृति 31 जुलाई 1969 को प्राप्त हुई जिसे म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 2 अगस्त 1969 पृ. 1943-1953 पर प्रकाशित किया गया अधिसूचना क्र. 21438 इक्कीस - अ (प्रा.) दिनांक 1 अगस्त 1969 भोपाल प्रकाशित हुई)

कतिपय वनोपज के व्यापार को लोक हित में विनियमित करने और उस हेतु उस व्यापार में राज्य का एकाधिकार (State Monoploy) के सृजन करने के लिये उपबन्ध करने का अधिनियम

भारत गणराज्य के वीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश लेजिस्लेचर (विधान-मंडल) द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाय :–

उद्देश्य एवं कारण:- तात्कालिक आवश्यकता अनुभव की जाने से राज्यपाल महोदय ने मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश क्र.- 9/1969 के रूप में इसे जारी किया था, जिसका आशय सारांश में यह प्रकट किया गया था कि–

(a) राज्य के सहकारी वनों में अधिक मूल्यवान एवं विशाल मात्रा में वन उपज उत्पन्न की जाती है जिसके व्यापार के विनियमन (Regulate) करने के लिये कोई प्रावधान नहीं है जिससे व्यापार का मुनाफा ठेकेदारों या बिचौलियों (मध्यस्थों) द्वारा शोषण कर लिया जाता है। राज्य के ऐसे आगम (Proceeds) के लिए विधिपूर्ण विनियोग द्वारा राज्य के संसाधनों में वृद्धि करने हेतु वन उपज के व्यापार को विनियमित करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता है।

(b) ऐसे व्यक्ति जिनकी रोटी-रोजी का खास साधन वन उपज का संग्रह है जिनमें आदिवासी जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन्हें उनकी संग्रहीत वन उपज का यथार्थ मूल्य उपलब्ध नहीं हो पाता है इसलिए भी वन उपज के व्यापार का विनियमन एवं राज्य का एकाधिकार होना आवश्यक है।

(c) अतएव वन उपज के व्यापार, नियंत्रण तथा पर्यवेक्षी शक्तियों (Control and Supervisory powers) से राज्य सरकार को समन्वित किया गया; (म. प्र. राजपत्र असाधारण दि. 3 जुलाई 1969 पृष्ठ 1586)

धारा 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ- (1) यह अधिनियम **मध्यप्रदेश वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969** कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(3) यह–

(एक) ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसी वन उपज के संबंध में तत्काल प्रवृत्त होगा- जिन्हें (अध्यादेश-9/69) की धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन विनिर्दिष्ट (Specified) किया गया हो- जिसे (अध्यादेश को) अधिनियम की धारा 23 के अधीन निरस्त कर दिया गया है, और

(दो) ऐसे अन्य क्षेत्र या क्षेत्र में तथा ऐसे अन्य वन उपज के सम्बन्ध में तथा ऐसी तारीख या तारीखों को प्रवृत्त होगा जिसे या जिन्हें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे।

टिप्पणी

नीचे दी गई सारणी (तालिका- Table) में वह अधिसूचनाएँ तथा तारीखें दर्शाई जाती हैं जिनके अनुसार अध्यादेश (9/1969) की धारा 1 (3) की शक्तियों के प्रयोग में राज्य सरकार ने इस अध्यादेश

को मध्यप्रदेश में लागू किया था तथा अधिनियम अध्यादेश के स्थान पर प्रतिस्थापित होने पर अधिनियम की धारा 1 (3) (दो) के अधीन अधिसूचनाओं द्वारा इस कानून को म. प्र. राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में लागू किया है–

(1) अधिसूचना क्र. 3544-X-69 दिनांक 21-6-1969 द्वारा - वन उपज महुआ फूल, महुआ बीज सभी प्रकार के गोंद, हर्रा के बारे में अध्यादेश क्र. 9/69- सम्पूर्ण मध्यप्रदेश वन सरकिल बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, होशंगाबाद, शहडोल, रीवा, मध्य (जबलपुर) तथा बालाघाट में लागू किया गया।

(2) (1) अधिसूचना क्र. 289-1344-X-(3)-70 दिनांक 10 अगस्त 1970- म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9/1969) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतदद्वारा यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त अधिनियम 1 (एक) सितम्बर 1970 से इन क्षेत्रों में नीचे विनिर्दिष्ट वन उपज के बारे में लागू होगा :–

(A) क्षेत्र- राजस्व जिले- (1) सीधी (2) शहडोल (3) सरगुजा - (केवल चांद बखार फारेस्ट डिव्हीजन), (4) होशंगाबाद (5) बैतूल (6) रायपुर (7) दुर्ग तथा (8) बस्तर

(B) इमारती लकड़ी - सागौन (Tectona Grandis)
साल (Shorea Roubasta)
साज (Terminetia Tomentosa) तथा
बीजा (Pterocarpus Massupium)

2 (2) निम्नलिखित फारेस्ट रेंजों के कूप्स (Coupes) को वन विभागीय पर्यवेक्षण (Supervision) के अधीन या निम्नलिखित विवरण के अनुसार पब्लिक आक्शन सार्वजनिक घोष विक्रय (नीलामी) द्वारा - कार्यान्वित किया जावेगा:-

		फारेस्ट रेंजों के नाम जिनमें खड़े कूपों को कार्यान्वित किया जाएगा	
राजस्व जिले	फारेस्ट डिव्हीजन	वन विभागीय पर्यवेक्षण के अधीन	सार्वजनिक नीलामी से विक्रय द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सीधी	1. पश्चिमी सीधी	1. पूर्वी सीधी 2. पश्चिमी सीधी 3. मड़वास 4. मंझगवां 5. पौण्डी 6. कुसुमी	
	2. पूर्वी सीधी	1. सराय 2. माडा 3. बैढ़न	4. चितरंगी 5. वरगवां 6. जियावन
2. शहडोल	3. उत्तरी शहडोल	1. पूर्वी ब्यौहारी 2. पश्चिमी ब्यौहारी 3. जयसिंहनगर 4. अमझोर 5. खोनो दी 6. पाली	

(1)	(2)	(3)	(4)
		7. घनघुटी	
	4. दक्षिणी शहडोल	1. अमरकण्टक	
		2. जैठारी	
		3. कोतमा	4. जेलपुर
			5. केसवाही
			6. बुढार
			7. शहडोल
	5. उमरिया	1. पनपठा	
		2. टाला	
		3. मानपुर	
		4. धामोखर	
		5. करकेली	
		6. उमरिया	
		7. चन्दिया	
3. सरगुजा	6. चांद बाखर	1. कमरजी	
		2. कटाडोल	
		3. केल्हारी	
		4. बहारसी	
		5. खरपुर	
		6. जनकपुर	
4. होशंगाबाद	7. होशंगाबाद	1. होशंगाबाद	[1][पिपरिया]
		2. सुकतवा	2. वनखेरी
		3. बोरी	3. वगरा
		4. सुहागपुर	4. पचमढ़ी
		[2]5. [(विलुप्त)]	
		6. [”]	
		7. [”]	
		8. [”]	
	8. हरदा	[3]1. [हण्डिया]	
		2. मकराई	
		3. राहतगाँव	
		4. टेमागाँव	
		5. सिंवनी	
5. बैतूल	9. उत्तरी बैतूल	1. शाहपुर	
		2. बैतूल	[3][आमला]
		[3]3 [–]	
		4. घोड़ाडोंगरी	
		5. सारनी	

1. अधिसूचना क्र. 813-1712-X-3-71 दि. 20-7-1971 द्वारा अन्तःस्थापित ।
2. कालम नं. 3 रेंज क्र. 5, 6, 7, 8 को विलुप्त किया गया- अधिसूचना क्र. 813-1712-X-3-71 दि. 20-7-72.
3. अधिसूचना उपरोक्त दि. 20-7-71 द्वारा विलुप्त की गई-(हण्डिया) तथा राजपत्र पार्ट 1, दि. 13-8-1971 पृ. 1012 द्वारा आमला अन्तःस्थापित ।

(1)	(2)	(3)	(4)
	10. दक्षिणी बैतूल	1. चिचोली	
		2. भैंसदेही	
		3. साओल मैण्डिया	
		4. ताप्ती	
		5. मुलताई	
		6. आठनेर	
	11. पश्चिमी बैतूल	1. मोहदा	
		2. टाओड़ी	
		3. सावलीगढ़	
		4. भौरा	
		5. गवासेन	
6. रायपुर	12. उत्तरी रायपुर	1. सोनखान	
		2. दक्षिणी लोआन	
		3. पिथौरा	
			4. सरायपाली
			5. उत्तरी लोआन
			6. महासमुंद
	13. दक्षिणी रायपुर	1. वीरगुनी	
		2. सीतानाड़ी	
		3. रिसगांव	
		4. नागरी	
			5. सिंगपुर
			6. धमतरी
	14. पूर्वी रायपुर	1. गरियाबन्द	
		2. मानपुर	
		3. देवभोग	
			4. छुरा (Chhura)
7. दुर्ग	15. उत्तरी दुर्ग	1. रेंगाखान	
		2. खैरागढ़	
		3. डोंगरगढ़	
			4. तारेगांव
			5. कवरधा
			6. गन्दाई
	16. दक्षिणी दुर्ग	1. छुरा	
		2. लोहारा	
			3. चौकी
			4. पानावरस
			5. कुसुमकासा
			6. बालोद
			7. मानपुरी
8. बस्तर	17. कांकेर	1. कापसी	
		2. भानुप्रतापपुर	